कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)

पत्रांकः 1213/ N-13/ जनरल/ पी0ए0ज0 दिनांकः 30/8/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ– 226010।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच 98884/सी–7/ओ.ए. नं.–438/23 दिनांक 04.08.2023, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन में उक्त प्रकरण पर जिला प्रशासन, सम्भल द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में संदर्भित प्रकरण पर जिला प्रशासन, सम्भल द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या संलग्न कर मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी, सम्भल

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी, सम्भल

AEE CORS NEW 2022

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट,
गुन्नौर-सम्भल(उ0प्र0)

9454415834 sdmgunnaur@gmail.com

दिनाँक-02 अगस्त, 2023

पत्रांक-1956 एस0टी0 / 2022-23

विषयः- Notice of hearing in Suo Moto matter in re: News item in india Today dated 14-06-2023 " 2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held."

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-935/N-13/जनरल/सामान्य, दिनाँक-28-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित व जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को पृष्टांकित है। इस पत्र के द्वारा दिनाँक-13-06-2023 को मौ0 सराय, कस्बा व तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल में स्थित पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई नियत होने के दृष्टिगत संदर्भित प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर, तहसीलदार गुन्नौर व अधिशासी अधिकारी, न0पं0 गुन्नौर से आख्या प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1- पुलिस क्षेत्राधिकारी, गुन्नौर द्वारा अपनी आख्या दिनाँक-29-07-2023 के माध्यम से अवगत गया कि दिनाँक-13-06-2023 को मौ0 सराय कस्बा व तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल में आतिशावाजी के गोदाम में हुए विस्फोट से जान माल का काफी नुकसान हुआ था। उक्त विस्फोटक घटना के सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0 218/2023, धारा-304/427/286 भा0द0वि0 व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा मौके से 20 किलो जला अधजला विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-337/338 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा-304/337/338/427/286 भा0द0वि0 व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का साबित होने पर अभियुक्त साबिर का चालान द्वारा आरोप-पत्र संख्या-223/2023, दिनाँक-12-07-2023 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इस कार्यवाही के दौरान एफ0एस0एस0ओ0 की टीम द्वारा मकानों का भौतिक सत्यापन हेतु तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 20 कुंतल विस्फोटक पदार्थ सामग्री बरामद की गई, जिस सम्बन्ध में एफ0एस0एस0ओ0 द्वारा थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0-219/2023 अन्तर्गत धारा-3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम 1-फरकान पुत्र अख्तार, 2-सलीम पुत्र अमीरवक्श, 3-भूरा पुत्र नन्हू, 4-परवीन पुत्री अमीरबक्श निवासीगण मौ0 सराय कस्बा व तहसील व थाना गुन्नौर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सलीम उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त मुकदमे में नामित आरोपीगण में से एक आरोपी परवीन पुत्री अमीरबक्श की मानसिक स्थित(विक्रचित) ठीक न होने के कारण इनका नाम मुकदमे से पृथक किया गया। शेष अभियुक्तगण भूरा तथा फुरकान उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किया गया, परन्तु गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दोनों अभियुक्तगण के गिरफ्तारी वारन्ट मा0 न्यायालय से जारी कराये जा चुके हैं तथा 82/83 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आख्या मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा रही है । शीघ्र ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर गुणदोष के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना का निस्तारण किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार, गुन्नौर द्वारा अपनी पूर्व प्रेषित आख्या दिनाँक-14-06-2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि दिनाँक-13-06-2023 को समय लगभग सांय 06 बजे मो0 सराय कस्बा व तहसील गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र अमीरबख्श के मकान में रखे पटाखे / आतिशबाजी में आग लगने से हुए धमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आसपास के कुछ मकानों में दरारें आ गई है। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

3- अधिशासी अधिकारी, न0पं0 गुन्नौर द्वारा अपनी आख्या दिनाँक-02-08-2023 में अवगत कराया है कि उक्त घटित दुर्घटना में तत्काल समस्त कर्मचारी एवं जे0सी0बी0 व ट्रैक्टर आदि वाहन द्वारा बचाव राहत कार्य किया गया तथा कुछ मकानों को सुरक्षा की दृष्टि से सील किया गया, ताकि अन्य कोई घटना घटित न हो सके।

अतः पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर, तहसीलदार गुन्नौर व अधिशासी अधिकारी, न0पं0 गुन्नौर की आख्याऐं मूलरूप से संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

(रमेश बाबू)
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर
%/c जनपद-सम्भल।

प्रतिलिपिः-जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी, गुन्नौर
%/c जनपद-सम्भल।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय तहसीलदार, गुन्नौर(सम्भल)।

पत्रांक 1258 /रा0नि0कार्या0/2023–24, दिनांक 14 जून 2023

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया राजस्व निरीक्षक, गुन्नौर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.06.2023 को समय लगभग सांय 06 बजे मौ0सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर वख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया धमाके के शाविर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस–पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई है उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक एवं घायलों की सूची सलंग्नक सहित आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्नक–यथोपरि।

14.06.23
तहसीलदार,
गुन्नौर।

Scanned with OKEN Scanner

घायलों की सूची

1. विनोद कुमार पुत्र सैंठमल – 50 वर्ष
2. राजेश कुमार पुत्र सैंठमल – 45 वर्ष
3. रवि कुमार पुत्र सैंठमल – 25 वर्ष
4. मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू – 30 वर्ष
5. प्रमोद पुत्र सत्यवीर – 30 वर्ष
6. प्रवेश पुत्र देवेन्द्र – 15 वर्ष
7. मैरी पॉल पुत्री जेम्स पॉल – 23 वर्ष
8. साहू पुत्र चाँद – 20 वर्ष
9. जमील पुत्र नासिर – 15 वर्ष

मृतकों की सूची

1. ओम पुत्र जसवन्त – 6 माह
2. गुड्डो पत्नी साबिर – 40 वर्ष
3. सुमरपा पुत्री पप्पू – 12 वर्ष
4. मनम पुत्री साबिर – 25 वर्ष

14/06/023
(तोरू-संज्ञान)

14.6.23

जाहरी सिंह
रा0 नि0 क्षेत्र – ''
तहसील–गुन्नौर जिला–सम्भल

सत्यापित

14.6.23

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
गुन्नौर जनपद सम्भल

विषयः- आपके पत्रांक - 2369 एसटी / 2023, 24 दिनांक 27.07.2023 वावत दिनांक 13.06.2023 को कस्वा गुन्नौर के मौहल्ला सराय मे हुए विस्फोटक की घटना के सम्बन्ध मे विस्तृत आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2023 को कस्वा थाना गुन्नौर जनपद सम्भल के मौहल्ला सराय मे आतिशबाजी मे विस्फोट होने की घटना हुई थी। जिसमे जान माल का काफी नुकसान हुआ था। उक्त विस्फोटक घटना के सम्न्बध मे थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0 218/2023 धारा 304/427/286 भादवि व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा मौके से 20 किलो जला अध जला विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की गई साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 337/338 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई एंव साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 304/337/338/427/286 भादवि व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का साबित होने पर अभियुक्त साबिर उपरोक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या 223/2023 दिनांक 12.07.2023 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इस कार्यवाही के दौरान एफएसएसओ की टीम द्वारा मकानो की भौतिक सत्यापन हेतु तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 20 कुंतल विस्फोटक पदार्थ सामग्री बरामद की गई जिस सम्बन्ध मे एफएसएसओ श्री संतोष कुमार द्वारा थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0 219/2023 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम 1. फुरकान पुत्र अख्तार, 2. सलीम पुत्र अमीरबक्श, 3. भूरा पुत्र नन्हू, 4. परवीन पुत्री अमीरबक्श नि0गण मौ0 सराय कस्या गुन्नौर थाना गुन्नौर जिला सम्भल पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है। जिसमे साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सलीम उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तथा मुकदमे मे नामित आरोपीगण से महिला आरोपी परवीन पुत्री अमीरबक्श पागल महिला है। जो सलीम की बहिन है तथा सलीम के घर के बाहर दरवाजे पर पडी रहती है। विक्रचित होने के कारण इस महिला को नाम मुकदमा से प्रथक किया गया। शेष अभियुक्तगण भुरा तथा फुरकान उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किया गया परन्तु गिरफ्तारी नही हो सकी है। दोनों अभियुक्तों के गिरफ्तारी वारन्ट मा0 न्यायाल से जारी कराये जा चुके है तथा 82/83 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट मां0 न्यायालय प्रेषित की जा रही है। जल्द से जल्द अभियुक्तगण गिरफ्तारी कर गुणदोष के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना का सफल निस्तारण किया जायेगा।

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

Sir,
Submitted
20-07-23

आलोक सिद्धू
क्षेत्राधिकारी गुन्नौर
जनपद- सम्भल

(अतर सिंह) 20/7/23
प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली गुन्नौर जनपद सम्भल
जनपद- सम्भल

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट, गुन्नौर-सम्भल(उ0प्र0)

9454415834 sdmgunnaur@gmail.com

पत्रांक 2569 एस0टी0 / 2023-24 दिनाँक-27 जुलाई, 2023

विषयः- दिनाँक-13-06-2023 को मो0 सराय, गुन्नौर में पटाखों के गोदाम में हुए घटित दुर्घटना में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रभारी निरीक्षक,
थाना-गुन्नौर।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, मुरादाबाद के संलग्न पत्र दिनाँक-28-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रकरण में मा0 अधिकरण में जवाव दाखिल कराये जाने हेतु प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक-13-06-2023 को मो0 सराय, गुन्नौर में पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या आज ही लोटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(रमेश बाबू)
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर
जनपद सम्भल।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पंचायत, गुन्नौर जनपद–सम्भल

पत्रांकः 1143/न0पं0गुन्नौर/2023–24 दिनाँकः 02/08/2023

सेवा में,

उप जिलाधिकारी महोदय,

गुन्नौर (सम्भल)।

विषयः दिनाँक 13.06.2023 को मौ0 सराय गुन्नौर में पटाखों के गोदाम में हुए घटित दुर्घटना में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्याः 2377/एस0टी0/2023–24 दिनाँकः 31 जुलाई, 2023 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि निकाय द्वारा तत्काल समस्त कर्मचारी एवं जे0सी0बी0 व ट्रेक्टर आदि वाहन द्वारा बचत राहत कार्य किया गया एवं उप जिलाधिकारी महोदय गुन्नौर के आदेशों पर उस स्थान के निकट भवनों की जॉच उपरान्त कुछ अवैध पटाखा आदि प्राप्त हुए जिन्हे पुलिस प्रशासन द्वारा पानी से नष्ट कर कोतवाली में सुरक्षित स्थान पर जमा किये जाने की कार्यवाही की गई तथा प्राप्त पटाखा भवनों को उप जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेशों पर कुछ मकान सुरक्षा की दृष्टि के अन्तर्गत सील किये ताकि कोई भी अन्य घटना न हो सके।

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, गुन्नौर
कृते अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत - गुन्नौर
सम्भल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट, गुन्नौर-सम्भल(उ0प्र0)

0454415834 sdmgunnaur@gmail.com

पत्रांक-2-57/एस0टी0 / 2023-24 दिनाँक-31 जुलाई, 2023

विषयः- दिनाँक-13-06-2023 को मौ0 सराय, गुन्नौर में पटाखों के गोदाम में हुए घटित दुर्घटना में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

अधिशासी अधिकारी, न0पं0,
गुन्नौर, जनपद सम्भल।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के संलग्न पत्र दिनाँक-28-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रकरण में मा0 अधिकरण में जबाव दाखिल कराये जाने हेतु प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक-13-06-2023 को मौ0 सराय, गुन्नौर में पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या आज ही लोटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(रमेश बाबू)
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर
जनपद सम्भल।

कार्यालय उप जिला अधिकारी गुन्नौर जनपद सम्भल

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1198884 /C-7/O.A No. 438/23 दिनांक: 4/8/23

सेवा में,

1. ए०डी०जी०,
स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स,
उ०प्र०। (pac@uppac.net)

2. ज्वाइन्ट चीफ कन्ट्रोलर एक्सप्लोसिव (पीईएसओ),
ए-विंग, द्वितीय तल केन्द्रालय, संजय प्लेस,
आगरा-282002। (itcceagra@explosives.gov.in)

3. जिलाधिकारी,
सम्भल।

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर OA No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP, owner held" में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डिप्टी रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.06.2023 द्वारा इण्डिया टुडे पत्रिका में दिनांक 14.06.2023 को उल्लिखित खबर का संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.07.2023 तक आख्या माननीय अधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था (पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण द्वारा उक्त OA No. 438/2023 में दिनांक 13.07.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

1. An explosion rocks illegal firecracker godown in District Sambhal, Uttar Pradesh which was reported in India Today on 14.06.2023. The accident caused death of four people and injuries to seven persons. It is reported that the owner who has stored firecrackers in the residential area has it without any permission.

2. The matter was taken up by this Tribunal and notices were issued to Member Secretary, UP State PCB, District Magistrate, Sambhal, Joint Chief Controller of Explosives (PESO), Agra and ADG of State Disaster Response Force, UP.

3. No reply has been filed.

4. During the hearing, learned Counsel appearing for the State PCB was present and sought time to file reply. Let the same be filed before the next date

5. List for further consideration on 13.10.2023.

प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि 13.10.2023 है तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय अधिकरण में उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही को संकलित करते हुए रिप्लाई दायर किया जाना है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 13.07.2023 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आपके विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपिः-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, सम्भल से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए बोर्ड की ओर से दायर किये जाने वाले रिप्लाई को तैयार कराते हुए बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 0522- 2720831,2720828,2720691,2720681
2720681e-mail: info@uppcb.com

TC. 12 v. Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522- 2720831,2720828, 2720691,
Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Item No. 03 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(BY VIDEO CONFERENCE)

Original Application No. 438/2023

In re: News item published in India Today dated 14.06.2023 titled **"2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP, owner held"**

Date of hearing: 13.07.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondents: Mr. Arvind Kumar, Adv. for UPPCB

ORDER

1. An explosion rocks illegal firecracker godown in District Sambhal, Uttar Pradesh which was reported in India Today on 14.06.2023. The accident caused death of four people and injuries to seven persons. It is reported that the owner who has stored firecrackers in the residential area has it without any permission.

2. The matter was taken up by this Tribunal and notices were issued to Member Secretary, UP State PCB, District Magistrate, Sambhal, Joint Chief Controller of Explosives (PESO), Agra and ADG of State Disaster Response Force, UP.

3. No reply has been filed.

4. During the hearing, learned Counsel appearing for the State PCB was present and sought time to file reply. Let the same be filed before the next date.

Scanned with OKEN Scanner

5. List for further consideration on 13.10.2023

Sheo Kumar Singh, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 13, 2023
DV

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

17

पत्र संख्या 1133/N-13/जनरल

दिनांक 14.08.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई-मेल

विषय– **डिप्टी रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई–मेल पत्र दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्रेषित नोटिस में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच 98721/सी–7/ओ.ए. नं.–438/2023 दिनांक 01.082023, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2023 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण द्वारा O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक 1095/एन–13/जनरल दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आख्या प्रस्तुत किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपिः विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या 1095/एन–13/जनरल दिनांक 03.08.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 96062/सी–7/ओ.ए.नं.–438/2023 दिनांक 20.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा O.A. No. 438/2023 *Titled* "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन में कार्यालय की आख्या तथा उपजिलाधिकारी, गुन्नौर, सम्भल के पत्रांक 1956/एस0टी0/2022–23 दिनांक 02.08.2023 के साथ संलग्न अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गुन्नौर, सम्भल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, गुन्नौर, जनपद सम्भल एवं तहसीलदार, गुन्नौर, सम्भल द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आख्या प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, गुन्नौर, सम्भल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held."** में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के अनुपालन के संबंध मे–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"2. The matter was taken up by this Tribunal and notices were issued to Member Secretary, UP State PCB, District Magistrate, Sambhal, Joint Chief Controller of Explosives (PESO), Agra and ADG of State Disaster Response Force, UP.

4. During the hearing, learned Counsel appearing for the State PCB was present and sought time to file reply. Let the same be filed before the next date.

5. List for further consideration on 13.10.2023."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण पर आख्या निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत पटाखा/आतिशबाजी गोदाम का निरीक्षण दिनांक 27.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय घटना स्थल के पडोस में निवास करने वाले मौ0 उवैश पुत्र मौ0 हनीफ मियां (मो0 नं0 93683923430) उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि श्री साबिर अली द्वारा अपने रिहायशी मकान में पटाखे/आतिशबाजी के भण्डारण का कार्य किया जाता था। उक्त पटाखा/आतिशबाजी का गोदाम मौहल्ला सराय काजीयान, कस्बा गुन्नौर, जनपद सम्भल (अंक्षाश 28.242124, देशान्तर 78.347746) में सघन आवासीय क्षेत्र में स्थापित था। निरीक्षण के दौरान संज्ञानित हुआ कि दिनांक 13.06.2023 की सायं लगभग 6:00 बजे श्री साबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में भण्डारित पटाखा/आतिशबाजी गोदाम मे अचानक आग लगने से विस्फोट हो जाने के कारण इनका स्वयं का मकान एवं आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे। निरीक्षण के समय स्थल के लिये गये फोटोग्राफ निम्न है–

2. O.A. No. 438/2023 Titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in U.P., Owner held." में डिप्टी रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई–मेल पत्र दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्रेषित नोटिस तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 96062/सी–7/ओ.ए.नं.–438/2023 दिनांक 20.06.2023 के कम में कार्यालय के पत्रांक 935/एन–13/जनरल/सामान्य दिनांक 28.06.2023 के द्वारा संदर्भित प्रकरण पर की गयी कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, गुन्नौर, जनपद सम्भल से अनुरोध किया गया। **संलग्नक–1।**

AFF CORS NEW 2022

Scanned with OKEN Scanner

20

3. उक्त के संबंध मे कार्यालय उपजिलाधिकारी, गुन्नौर, जनपद सम्भल का पत्रांक 1956/एस0टी0/2022–23 दिनांक 02.08.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके साथ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गुन्नौर, सम्भल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, गुन्नौर, जनपद सम्भल एवं तहसीलदार, गुन्नौर, सम्भल द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या संलग्न कर प्रेषित की गयी है **(संलग्नक–2)**।

4. उक्त पत्र में वर्णित है कि दिनांक 13.06.2023 को समय सायं लगभग 06:00 बजे मौहल्ला सराय कस्बा, तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल में स्थित श्री साबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से हुए धमाके में श्री साबिर अली का पूरा मकान गिर गया एवं आसपास के कुछ मकानों में दरारे आ गयी। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 09 व्यक्ति घायल हुए थे, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि विस्फोट पदार्थ अधिनियम के साबित होने पर अभियुक्त साबिर का चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या 223/2023 दिनांक 12.07.2023 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. पत्र में यह भी वर्णित है कि घटित दुर्घटना में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गुन्नौर द्वारा तत्काल समस्त कर्मचारी एवं जे.सी.बी. व ट्रेक्टर आदि वाहन द्वारा बचाव राहत कार्य किया गया तथा कुछ मकानों को सुरक्षा की दृष्टि से सील किया गया, ताकि अन्य कोई घटना घटित न हो सके।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

03/8/23
(अजंनी शुक्ल)
प्रयो. सहायक

03/8/23
(आकाश जोशी)
प्रयो. सहायक

सहा.पर्या.अभि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Scanned with OKEN Scanner